का॰ज्ञा॰सं॰ 9/5/90-रा॰भा॰(सेवा), दिनांक 13.11.1990

संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के प्रथम खंड में सिफारिश की है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उपक्रमों को अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवादक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का भी अलग-अलग संवर्ग गठित करना चाहिए।

2. यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां यह संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था की जाए।

3. संसदीय राजभाषा समिति की यह सिफारिश राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-2), दिनांक 30.12.1988 के अंतर्गत संकल्प की मद सं॰-11 के रूप में परिचालित की जा चुकी है। इस संकल्प के साथ आदेश में सभी मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों व उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों से आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा भी की गई थी।

4. सभी मंत्रालयों व विभागों का ध्यान इस विषय में राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 1/20012/1/87-रा॰भा॰ (क-2) दिनांक 30.12.1988 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह सूचित किया गया था कि अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदों के लिए केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समान सेवा गठित करना संचालन संबंधी कारणों से संभव नहीं है क्योंकि अधीनस्थ कार्यालय भारत के प्रत्येक राज्य में दूर-दूर जगहों पर फैले हुए हैं तथा किसी ऐसे संवर्ग का गठन प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसी कार्यालय ज्ञापन में सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों के बारे में जांच करें और यदि ये अवसर अपर्याप्त हैं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय करें (जहां तक मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों का संबंध है, उनमें से कुछेक को छोड़ कर सभी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में सम्मिलित हैं)।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे "अपने नियंत्रणाधीन/अधीनस्थ कार्यालयों व उपक्रमों आदि में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए अनुवादक संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के अलग-अलग संवर्ग गठित करने के बारे में विचार करें तथा जहां-जहां संवर्ग का गठन संभव हो वहां संवर्ग बनाए जाएं तथा जहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अवसर कम हो और संवर्ग बनाना संभव न हो वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अवसरों की जांच की जाए और यदि वे अपर्याप्त पाए जाएं तो उन्हें बढ़ाने के उपाय किए जाएं।"

6. इस विषय में की गई कार्रवाई की सूचना राजभाषा विभाग को भी दी जाए। इस बीच कृपया इस पत्र की पावती भी भेजें।